म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल
मध्यप्रदेश शासन
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Governmernt of Madhya Pradesh

क्र. 1031 दिनांक 9/10/2020

प्रति

कुलसचिव,
स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय,
सागर

विषय : स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, सागर में शैक्षणिक सत्र 2020–21 से नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिदिष्ट प्रावधानों के अर्न्तगत आयोग द्वारा गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श हेतु आयोग की 162 वीं बैठक दिनांक 05/10/2020 के पदकमांक (162)–6 में लिये गये निर्णय के परिपालन में आपके विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र – 2020–2021 से निम्नलिखित पाठ्यकर्मो को उनके सम्मुख दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालित करने की अस्थायी अनुमति आदेश में वर्णित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

S.no.	New Courses	Ord.	Intake
1	B.Tech (Agr.)	62	120
2	M Tech (SWE)	62	24
3	M Tech Mining	62	5
4	M Tech AEROSPACE	62	5
5	B.A. B.Ed.	40	100
6	B.Ed. M.Ed.	78	50
7	M.P.Ed.	43	40
8	M.Ed.	39	50
9	B.Ed. Part Time	68	100
10	M.Pharma	31	M.Ph. Pharmaceutics - 12 M.Ph. Pharma. Chem.- 9
11	B.Sc. Nursing	68	30
12	M.Sc. MLT	38	5
13	Diploma in Pharmacy (Homeopathy)	38	50
14	Diploma in Nachuropathy	46	50
15	B.A. Yogik Science	21	30
16	M Yogik Science	60	30

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त पाठ्यक्रमों के सम्मुख दर्शित सीट संख्या निम्न शर्तों के अध्याधीन स्वीकृत की जाती है :-

1. केन्द्रीय परिषद्/मानक संस्थाओं की स्वीकृति के पश्चात् से ही विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं संबंधित विनियामक संस्थाओं के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदंडों/मानको के अनुसार आवश्यक सुविधाएँ, अधोसंरचना, उपकरण, पुस्तकें, प्रयोगशाला इत्यादि की उपलब्धता होना चाहिए।
3. यू.जी.सी. एवं संबंधित विनियामक संस्थाओं के द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार सीट संख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में अर्हताधारी शिक्षकों की नियुक्ति उपर्युक्त की जाना सुनिश्चित किया जाए एवं नियुक्ति शिक्षकों का सम्पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट एवं आयोग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
4. उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों की अंकसूची एवं अन्य प्रमाण पत्रों का रिकार्ड डिजिटल फार्मेट (NAD) में संधारित करना होगा।
5. भविष्य में प्रारंभ होने वाले पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेशों का प्रकाशन हो चुका है, उन्हें प्रारंभ करने के पूर्व नियमानुसार निरीक्षण संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना होगी।
6. उपरोक्त मापदंडों/शर्तो का पालन नहीं किये जाने की दशा में अथवा किसी प्रकार की कमी/अनियमितता पाये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन स्वमेव उत्तरदायी होगा।

<u>अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित</u>

सचिव

पृष्ठांकन क्रमांक........./म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल दिनांकः /10/2020

प्रतिलिपिः-कुलसचिव, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, सागर की ओर सूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव